


विषय: दिनांक 03-07-2024 से 31-03-2025 तक कैंटीन का ठेका देने संबंधित नियम एवं शर्तें

विषयांकित मामला इस प्रकार है कि दिनांक 03-07-2024 से 31-03-2025 तक अध्यापक भवन की कैंटीन निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर दिया जाता है।

1. फर्म का नाम तथा फर्म के नाम पैन न0 तथा चालू खाता एवं जी0एस0टी होना अति आवश्यक है।
2. भारतीय खाद्य संरक्षण मानव प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र (फार्म सी) fssai का होना अति आवश्यक है।
3. श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तथा जिसकी वैधता 31-03-2025 तक हो।
4. पिछले पाँच वर्ष में फर्म द्वारा किस सरकारी कार्यालय एवं निजी संस्थान में कार्य किया गया है, उसका सत्यापित प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, तथा जिसमें लिखा गया हो कि फर्म द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है, तथा वर्तमान में किस संस्थान में कार्य किया जा रहा है, वर्क ऑर्डर की प्रति संलग्न होना आवश्यक है।
5. C.A की Audit Report पिछले 5 वर्ष की होनी आवश्यक है।
6. डाइनिंग हॉल/रसोईघर तथा आस पास के पार्क की सफाई की सारी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी तथा सफाई नियमित रूप से प्रति दिन की जाएगी इसका कड़ाई / दृढता से पालना की जाए। शिकायत प्राप्त होने पर पहली और दुसरी चेतावनी दी जाएगी तथा तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर अंतिम निर्णय निदेशक महोदय द्वारा लिया जाएगा।
7. कैंटीन का कार्य दिवस एवं प्रशिक्षण अवधि के दौरान खुला रहना अनिवार्य होगा।
8. रात्रि के समय कैंटीन में वही व्यक्ति ठहरेगा जिसका नाम, पता व फोटो इस परिषद् में ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा। ठेकेदार ही उसका जमानती होगा। ठेकेदार के कर्मचारियों को साफ सुथरी वर्दी पहननी होगी तथा वर्दी पर नाम लिखा होगा तथा इनका बायोडाटा कार्यालय में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
9. खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए सभी वस्तुएँ जैसे घी, रिफाइंड तेल, मसाले, आटा तथा सब्जियाँ, चायपत्ती आदि उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले तथा साफ सुथरी प्रयोग में लाई जाएगी।
10. चाय/खाना बनाने व पका हुआ खाना वितरित करने हेतु बर्तन/क्राकरी साफ सुथरी तथा उसका इंतजाम ठेकेदार को स्वयं करना होगा। प्लारिस्टिक व कागज के कप, प्लेट, थाली एवं प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे।
11. प्रयोग किए जाने वाले सामान का समय-समय पर परिषद् के सदस्यों/प्रोग्राम कोआडीनेटर की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, प्रशिक्षण में आए हुए प्रतिभागियों द्वारा खाने की गुणवत्ता के बारे में लिखित शिकायत ठेका रद्द कर दिया जाएगा, तथा आपकी 100000 (एक लाख) रुपये अग्रिम राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
12. सभी खाद्य पदार्थ शीशे या जाली के बने केस में रखने होंगे।
13. कैंटीन के लिए बिजली का मीटर अलग से ठेकेदार ने लगवाना होगा, बिजली बिल ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा तथा पंखे व अन्य फीटिंग जैसे बल्ब, ट्यूब लाइट की सुरक्षा भी ठेकेदार को करनी होगी। किसी भी बिजली के उपकरण की खराब होने की अवस्था में ठेकेदार ही अपने स्तर पर उसका रिपेयर/रिप्लेसमेंट करवाएगा।
14. ठेकेदार के कर्मचारियों को साफ सुथरी वर्दी पहननी होगी तथा वर्दी पर नाम लिखा होगा तथा इनका बायोडाटा कार्यालय में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

15. कैंटीन का किराया प्रति मास की 1 तारीख को जमा करवाना होगा, तथा यदि 1 तारीख का सरकारी अवकाश है, 1 तारीख से पहले जो भी कार्य दिवस होगा उस दिन किराया जमा करवाना होगा, अन्यथा पेनल्टी वारे निर्णय निदेशक महोदय का होगा।
16. कैंटीन की मुरम्मत जैसे शीशा टूटना, नल/टूटी खराब होना, दरवाजे एवं खिडकियों का टूटना आदि स्वयं ठेकेदार ही ठीक करवायेगा।
17. ठेकेदार द्वारा कुटेशन के साथ कैंटीन का ठेका लेते समय 100000/- (एक लाख रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट की राशि रिफण्डेबल जमानत के रूप में जमा करवानी होगी जिसमें से टूट फूट ठेकेदार द्वारा न करवाए जाने पर एवं किराया जमा न करवाने की अवस्था में जमा राशि में से काट ली जाएगी और यदि ठेकेदार ठेका वर्ष के बीच में ही छोड़ता है तो यह समस्त जमानत राशि जबा कर ली जाएगी अन्यथा ठेका समाप्त होने पर बिना ब्याज के जमानत राशि वापिस कर दी जायेगी।
18. खाद्य सामग्री तैयार करते समय चुल्हा/अंगीठी अथवा गैस कनेक्शन की व्यवस्था सावधानी पूर्वक ठेकेदार को अपनी जिम्मेवारी पर करनी होगी तथा सुरक्षा के उपाय भी अपने स्तर पर करने होंगे, तथा आग बुझाने के साधन भी आप के ही होंगे।
19. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी शर्त /नियमों का उल्लंघन करने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। ऐसा होने पर ठेकेदार को उपलब्ध भवन/स्थान तुरन्त खाली करना होगा।
20. भाय का प्रबंध कैंटीन के अन्दर ही होगा, तथा आवश्यकता के समय तैयार करके देनी होगी।
21. ठेकेदार द्वारा जो भी वर्कर रखे जाने है उनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा उनका मैडीकल सर्टीफिकेट, आधार कार्ड एवं पुलिस वेरिफिकेशन होना अति आवश्यक लें।
22. परिषद् द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर जो भी कर देय बनता है (सभी प्रकार के टैक्सों का भुगतान टैण्डर प्राप्त करने वाली फर्म को करना है न की परिषद् को) फर्म द्वारा अवश्य भुगतान किया जाएगा इसके लिए फर्म जिम्मेवार होगी तथा टैक्स जमा कराने उपरान्त टैक्स की रसीद की छायाप्रति परिषद् को उपलब्ध करानी होगी। (प्रति तीन माह उपरान्त)
23. उपरोक्त सभी नियम व शर्त मानने पर एक सप्ताह के अन्दर-2 अपना कार्य हर अवस्था में प्रारम्भ करना होगा, अन्यथा वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा।
24. टैण्डर अनिवार्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 03-07-2024 को साय: 3 बजे तक जमा करानी होगी।
25. टैण्डर परिषद् द्वारा 03-07-2024 को साय: 4 बजे निदेशक महोदय के समक्ष खोली जाएगी।
26. टैण्डर का अनुबंध परिषद् द्वारा दिनांक 03-07-2024 से 31-03-2025 तक दिया जाएगा।
27. टैण्डर डालने वाली फर्म टैण्डर की खोलने की निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रह सकता है।
28. एक माह का किराया अग्रिम जमा करवाना होगा।
29. Rent Minimum 31549/- per Month है, तथा जिस भी फर्म का किराया सबसे ज्यादा होगा उसी फर्म को ठेका दिया जाएगा।
30. कैंटीन में रखा हुआ सामान जो इस परिषद् को होगा जिस अवस्था में दिया जाएगा, उसी अवस्था में जमा करवाना होगा।
31. रवैशल खाने का रेट/ मैन्यू अलग से होगा।
32. यदि किसी विशेष आयोजन के लिए संस्थान द्वारा खाने का प्रबंध करने के लिए कहा जाता है तो उस परिस्थिति में भुगतान साधारण मैन्यू के अतिरिक्त किया जाएगा, लेकिन ठेकेदार द्वारा क्रोकरी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।


 निदेशक

TENDER PERFORMA

- 1- Name of the Firm _____
- 2- PAN No. of the Firm (Copy attached) _____
- 3- Current Account No. & Bank Name _____
- 4- G.S.T Number (Copy attached) _____
- 5- License No(Fssai) copy Attached
- 6- Medical Certificate Labours. (Copy Attached)
- 7- Labour Deptt. Registration certificate Number (Copy Attached)
- 8- 1,00,000/- (one lac) draft (in favour of Director, S.C.E.R.T. Haryana, Gurugram) DD
No. _____
Name of Bank _____ dated _____

Rate for Rent

Sr. No.	Minimum Rent	Quotation for Rent (To be filled by Tendered) in wards
1-	31549/-

Acceptance of the terms & Conditions

I have duly read the terms & conditions of the Tender & I (_____)

Name

on behalf (Firms _____)

Name

assure you that we fully accept the conditions so laid down. We further ensure that any instructions that are officially communicated to us by the Director SCERT will be adhered to in letter & spirit.

Signature

MENU FOR THE WEEK

Days	Breakfast(7:30AM to 8:30AM)	Lunch (1.00PM to 2.00 PM)	Dinner (7.30PM to 9.00 PM)	Tea (2times) (11.00AM & 3.00 PM)
Monday	Prantha two +Curd + Pickle+ Dahi/Tea+Poha or Chivra	Rajmah + Raita+ Rice+ Roti+ Seasonal Veg.+ Salad + Sweetdish	Dal + Seasonal Veg.+ Rice + Roti+Salad+ Pickle	Morning Tea+Biscuit Evening Tea+Biscuit
Tuesday	Puri (4-6) + Subji + Dahi/Tea+ Chivra	White Chana + mix veg, raita+ seasonal veg + Roti +rice+ Salad + Sweet dish	Dal+ Vegitable + Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	Morning Tea+Bread Pakora Evening Tea+Biscuit
Wednesday	Prantha Two Aloo / Maithi Gobhi + pickle + Dahi/Tea+Poha	Dal Makhani + Veg. + Roti+ Salad+ Rice+ Raita + Sweets (Gulab Jamu / Sweet dish)	Dal + Mix veg. + Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	Morning Tea+Samosa Evening Tea+Biscuit
Thursday	Prantha Two (Maithi)/ Palak + Pickle + Dahi/Tea+ Bread Butter	Kadhi Pakoda+ Aloo shimla mirch+ Roti+ Salad+ Rice Raita + Sweet dish	Dal+ Vegetable + Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	Morning Tea+Dhokla Evening Tea+Biscuit
Friday	Stuffed Prantha + Dahi/Tea + Pickle+ Chivra	Black Chana+ Mix Veg.+ Rothi+ Rice+ Salad+ Raita+ Sweet dish	Dal+ Veg.+ Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	Morning Tea+Sandwich Evening Tea+Biscuit
Rates Per Day/per	Rs.50/-	Rs.85/-	Rs. 65/-	Rs. 50/-
<ul style="list-style-type: none"> • Tea Quantity- 100 ml & Raita Quantity- 200 ml 				

Above rates are including GST & Extra taxes.

Signature